न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 02/2021 (2021/53)

1. अन्नी वेवा अजमाल
2. मोती पुत्र अजमाल
3. कमरूददीन पुत्र अजमाल
4. साबुदीन पुत्र अजमाल
5. मुस्ताक पुत्र अजमाल
6. सुल्तान पुत्र अजमाल समस्त जाति चीता निवासीगण ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नसीम फातिमा पुत्री मुस्तफा हुसैन जाति मुसलमान निवासी तारागढ तहसील व जिला अजमेर मृतक जरिये वारिसान
   1/1 वारिस अली पुत्र श्रीमति नसीम फातिमा पत्नी स्व0 श्री सैयद औसाफ अली जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास तारागढ, अजमेर
2. बैक आफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सराधना
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अजमेर
4. पीरू अली पुत्र श्री अम्मी अली जाति मुसलमान निवासी दौराई तहसील व जिला अजमेर
5. रहमतुल्ला खान पुत्र मांगू खान जाति मुसलमान निवासी खानपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
6. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री अकबर
7. श्रीमती मीरा पुत्री स्व श्री अकबर
8. मैपा पुत्री स्व0 श्री महता
9. श्रीमती उमदा पत्नी स्व0 श्री छीतर
10. पूना पुत्र स्व0 श्री छीतर समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम सायन्या तहसील ब्यावर जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम उमेश गुप्ता पुत्र वी.के.गुप्ता निवासी कोटडा।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री सुनील कडवासरा — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अमरसिंह राठौड़ — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1/1
3. श्री नरेन्द्र सिह राजावत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 4 व 5
4. श्री निर्मल कुमार जैन — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 6 से 10
5. श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

–:आदेश:–

दिनांक :– 12.08.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोमलपुर के साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 2807, 2808, 2813, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2824, 2826, 2828, 2829 के हाल खसरा नम्बर 2779, 2779/4275, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2738/4155, 2741 के हिस्से 1/2 पर खातेदार रूकमा बेवा लाला, भंवर, सोहन, हीरा, रणजीत पिता लाला के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.10.2010 एवं नामान्तकरण संख्या 1346 दिनांक 20.09.2011 दिनांक का वर्तमान राजस्व अभिलेख में रहन दर्ज करते हुए प्रार्थिया का मौके पर कब्जा होने तथा सक्षम न्यायालय के आदेश नहीं होने की स्थिति में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत अमल किये जाने का क्रमांक/भू.अ./दुरूस्ती/2017/166 आदेश दिनांक 29.12.2017 को दिया जिस पर तहसीलदार क्रमांक/2020/2175/दिनांक 16.06.2020 को हल्का पटवारी को तहसीलदार के द्वारा दिनांक 29.12.2017 की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिस पर विधि विरूद्ध जाकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट का हिस्सा भी नसीम फातिमा के नाम दर्ज कर व अपीलांट नाम तर्क कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित दर्ज नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 दिनांक 19.06.2021 विरूद्ध न्याय नियम व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी को पक्षकार बनाए बिना व सुने बिना ही पारित किया गया, से असन्तुष्ट होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं 1/1 की ओर से श्री अमर सिंह राठौड अभिभाषक, रेस्पो 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पो 4 व 5 की और से श्री नरेन्द सिंह राजावत अभिभाषक, रेस्पो 6 से 10 की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अपील के मियाद बिन्दु पर रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा ऐतराज नहीं किये जाने कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करतें हुए अपील मियाद में शुमार कर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोमलपुर के साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 2807, 2808, 2813, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2824, 2826, 2828, 2829 के हाल खसरा नम्बर 2779, 2779/4275, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2738/4155, 2741 के हिस्से 1/2 पर खातेदार रूकमा बेवा लाला, भंवर, सोहन, हीरा, रणजीत पिता लाला के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.10.2010 एवं नामान्तकरण संख्या 1346 दिनांक 20.09.2011 का वर्तमान राजस्व अभिलेख में रहन दर्ज करते हुए प्रार्थिया का मौके पर कब्जा होने तथा सक्षम न्यायालय के आदेश नहीं होने की स्थिति में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत अमल किये जाने का क्रमांक/भू.अ./दुरूस्ती/2017/166 आदेश दिनांक 29.12.2017 को दिया जिस पर तहसीलदार क्रमांक/2020/2175/दिनांक

जिला कलेक्टर
अजमेर

16.06.2020 को हल्का पटवारी को तहसीलदार के द्वारा दिनांक 29.12.2017 की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जिस पर विधि विरूद्ध जाकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट का हिस्सा भी नसीम फातिमा के नाम दर्ज कर व अपीलांट नाम तर्क कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित दर्ज नामान्तकरण प्रविष्टि कम संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 दिनांक 19.06.2021 विरूद्ध न्याय नियम व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी को पक्षकार बनाए बिना व सुने बिना ही पारित किया गया। तहसीलदार अजमेर ने इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि नसीम फातिमा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सोमलपुर पटवार हल्का सोमलपुर के साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 2807, 2808, 2813, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2824, 2826, 2828, 2829 के हाल खसरा नम्बर 2779, 2779/4275, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2738/4155, 2741 के हिस्से 1/2 पर खातेदार रूकमा बेवा लाला, भंवर, सोहन, हीरा, रणजीत पिता लाला के स्थान पर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना था लेकिन सम्पूर्ण खाते का नामान्तकरण कर नसीम फातिमा के नाम क्षेत्राधिकार से बहार जाकर दर्ज करने के आदेश पारित किए है, किन्तु तहसीलदार अजमेर ने क्षेत्राधिकार का भंयकर दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि द्वारा स्थापित विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार अजमेर ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया धारा 136 में जो आदेश दिया है उस हद तक ही नामान्तकरण तस्दीक की कार्यवाही की जा सकती थी अपीलांट का नाम तर्क करनें का कोई आदेश नहीं होते हुए भी अपीलांट का नाम हटा कर भंयकर क्षेत्राधिकार की अवेहलना कारित की है बिना किसी सक्षम न्यायालय के अपीलांट का नाम तर्क नहीं किया जा सकता था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज फायदा पहुॅचाने की नियत से उक्त नामान्तकरण दर्ज किया जो किसी भी सूरत में बहाल रखे जाने योग्य नहीं है उक्त नामान्तकरण विधि द्वारा विहित विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार अजमेर द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधि के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए परन्तु ऐसा नही कर जो अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अजमेर ने पारित किया है वह अवैधानिक होने से अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व सम्पूर्ण कोर्ट फीस तथा जानकारी की दिनांक से अन्दर मियादं प्रस्तुत की जा रही है। क्षेत्राधिकार बहार जाकर पारित आदेशो पर मियाद लागू नहीं होती जैसा कि आर.आर.डी. 1999 पेज 173 में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित नामान्तकरण प्रविष्टि कम संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक 19.06.2020 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोंडेन्ट नूरूअली पुत्र अम्मी अली एवं रहमतुल्ला खान पुत्र मांगू खान द्वारा माननीय न्यायालय

जिला कलक्टर
अजमेर

के समक्ष श्रीमती नसीम फातिमा द्वारा निष्पादित एक तथाकथित फर्जी वसीयतनामा दिनांक 10.07.2012 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज फरमावे।

रेस्पोडेन्ट 4 व 5 के अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2022 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 को हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर दिया है, जिसकी पालना में रेस्पो. संख्या 04 व 05 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार अजमेर के नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जबकि नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या 08/1993 में पारित आदेश दिनांक 10.12.1995 की पालना में स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानो के तहत मूल आदेश दिनांक 10.02.1995 को अपीलांट द्वारा चुनौती दी जाकर निरस्त करवाये बिना रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत नामान्तकरण को अपील के माध्यम से चुनौती दिये जाने का अपीलान्ट को कोई विधिक अधिकार नहीं है, तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 संभागीय आयुक्त अजमेर के पत्र क्रमांक प–8/डी.सी/भू.अ./2010/17355 दिनांक 29.10.2010 की पालना में स्वयं माननीय न्यायालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक कअ/भू.अ./रेकार्ड/नामा./2010 दिनांक 01.12.2010 के तहत ग्राम सोमलपुर में आयोजित होने वाले प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2010 में प्रकरण का अविलम्ब निस्तारण किये जाने के निर्देशो की पालना में स्वीकृत किया गया, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2010 एवं सभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 29.10.2010 को भी चुनौती दी जाकर निरस्त करवाये बिना माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण में निहित विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 31/1966 में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.1969 के तहत रेस्पोडेन्ट के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, जिस आदेश दिनांक 24.10.1969 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 24.10.1976 के तहत अपील को स्वीकार किया जाकर रेस्पो.सं. 01 के हक में पारित आदेश दिनांक 24.10.1969 को निरस्त कर दिया गया, जिस आदेश के विरूद्ध रेस्पो सं. 1 द्वारा अपील संख्या 08/1993 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 10.02.1995 द्वारा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में वर्तमान अपीलांन्ट का कोई हक–अधिकार नहीं मानकर रेस्पो0 के हक में खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1969 को बहाल रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मूल अपील के विचाराधीन रहते अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छिपाकर नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 24.09.1990 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पो. 01 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 06.06.1995 द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 77 दिनांक 24.09.1990 को निरस्त कर दिया गया, अपीलान्ट द्वारा

जिला कलेक्टर
अजमेर

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.1995 के विरूद्ध अपील संख्या 31/1995 विद्वान अति0 संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे भी निर्णय दिनांक 19.05.1997 द्वारा निरस्त कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.1995 को यथावत रखा गया, अपीलान्ट द्वारा पुनः अति0 संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 19.05.1997 के विरूद्ध निगरानी एल.आर. संख्या 72/1997 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर गई जिसे भी निर्णय दिनांक 10.07.2003 द्वारा निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा गया, परन्तु अपीलांट माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2003 से व्यथित होकर पुनः नजरसानी एल.आर प्रार्थना पत्र संख्या 4930/2003 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे भी निर्णय दिनांक 19.12.2008 से निरस्त फरमा दिया गया, इस प्रकार उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा नियमित वाद एवं नामान्तकरण कार्यवाही के तहत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक असफल रहने तथा अपीलांन्ट के विरूद्व सभी निर्णय पारित होने के विरूद्व वर्तमान अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 06.06.1995 के विद्यमान होने से अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रिंसिपल ऑफ रेज्यूडिकेटा के तहत प्रथम दृष्टया वर्जित होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि के सबंध में प्रकरण विचाराधीन रहते नामान्तकरण संख्या 83 एवं 117 दिनांक 01.02.1992 एवं 25.02.1992 अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिये गये, उक्त नामान्तकरणो के विरूद्व रेस्पो संख्या 01 द्वारा दो अपीले 30/1993 एवं 31/1993 माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन अपीलो का निर्णय दिनांक 03.01.2000 द्वारा स्वीकार किया जाकर रेस्पो संख्या 01 के हक में निर्णय पारित कर अपीलांन्ट के हक में स्वीकृत उक्त विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 83 एवं 117 क्रमशः दिनांक 01.02.1992 एवं 25.02.1992 को निरस्त फरमा दिया गया। उपरोक्त सभी प्रकार से प्रस्तुत प्रकरणो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक अपीलान्ट के विरूद्व विवादित भूमि के सबंध में निर्णय पारित हो चुके है, जिनके विरूद्व आज दिवस तक अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती व चाराजोही नही किये जाने से अंतिम होकर अन्तर्गत धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अपीलान्ट विबंधित होकर उक्त निर्णयो से बाध्य है, तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 01 के हक में विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए पारित किया गया जिसके विरूद्व अपीलाट द्वारा की गई अंतिम चाराजोही दिनांक 19.12.2008 को निरस्त की जा चुकी, अतः वर्तमान स्वरूप में अपीलांट को ना तो अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई निहित करती है तथा ना ही उपरोक्त वर्णित आधारो पर पूर्व में पारित निर्णयों के विधमान रहते अपील अपीलांट विधिक प्रावधानो के तहत पोषणीय है, अतः अपीलांट निरस्त फरमाये जाने योग्य है। तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 प्रकरण में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमियो के बाबत स्वीकृत किया गया, केवल मात्र 1/2 हिस्सा की भूमि पर रहने को यथावत रखा गया, परन्तु वर्तमान में कायम की गई आधार जमाबंदी में लिपिकीय

जिला कलक्टर
अजमेर

त्रुटि कारित करते हुए सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिसको पूर्व में पारित निर्णयो एवं स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 की पालना में दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे विधिसम्मत होने के आधार पर स्वीकार करते हुए तहसीलदार अजमेर द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

रेस्पोडेन्ट 6 से 10 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया वादग्रस्त आराजी खातेदार श्रीमती शमशु जुहरा पत्नी श्री मुस्तफा हुसैन जाति मुसलमान जरिये मुख्त्यारआम औसाफ अली पुत्र श्री सैयद हसन जाति मुसलमान निवासी ग्राम दौराई से जरिये पंजीबद्व बैनामा दिनांक 28.04.1966 को अकबर, महता, छीतर, प्रताप व रहमान पुत्रगण श्री उर्जा मेहरात निवासीगण ग्राम सायन्या तहसील ब्यावर जिला अजमेर के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा पंजीबद्व विक्रय पत्र के अनुसरण में क्रेतागण के पक्ष में चौसाला खसरा नम्बर 2390 को छोड़कर नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 20.06. 1966 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया गया, क्रेतागण के द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा क्रय की गई। उपरोक्त भूमि के साथ पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1966 में चौसाला खसरा नम्बर 2390 रकबा 01–12–10 सहवन से दर्शा दिया गया। जबकि चौसाला खसरा नम्बर 2399 है कि जिसकी अलग से क्रेतागण के पक्ष में शुद्धि पत्र भी निष्पादित किया गया है, इस कारण चौसाला खसरा नम्बर 2399 की भूमि को छोडकर उक्त तालिका में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत किया गया एवं चौसाला जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 में खातेदार दर्ज किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण जो कि प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है, जबकि चौसाला जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 एवं 2022 से 2025 के अनुसार सह हिस्सेदार खातेदार महाराज हुसैन व मुर्जजा 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार शमशु जुहरा पत्नी मुस्तफा हुसैन जाति मुसलमान दर्ज है, सहखातेदार श्रीमती शमशु जुहरा के द्वारा जरिये मुख्त्यारआम के आवेदन पत्र में वर्णित भूमि को क्रेतागण को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया, क्रेतागण अकबर, महता, छितर, प्रताप एवं रहमान कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार शमशू जोहरा के द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1966 को ही अपीलाधीन भूमि कि जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 10 के पूर्व से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा सम्भलाते हुए समस्त अधिकारो के सहित बेचान कर दी गई, ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार खातेदार श्रीमती शमशू जोहरा के अधिकार ही समाप्त हो चुके तथा पंजीबद्व विक्रय के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 10 के पूर्वज एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान को समस्त हित अधिकार जरिये विरासत प्राप्त हो चुके है। सहखातेदार मुस्तफा हुसैन पुत्र श्री रियाजुदीन का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत में नामान्तकरण संख्या 259 दिनांक 24.10.1959 को श्रीमती शमशु जुहरा पुत्री मस्तफा हुसैन के नाम ग्राम पंचायत दौराई के द्वारा स्वीकृत किया गया, तथा 1/2 हिस्सा भूमि की सहहिस्सैदार चौसाला जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार शमशु जुहरा पुत्री मस्तफा हुसैन दर्ज, जबकि सहखातेदर श्रीमती शमशु जुहरा पुत्री मस्तफा हुसैन जरिये मुख्यतयाआम औसाफ अली के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

सम्भला दिया गया, इस प्रकार अपीलाधीन भूमि से रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 श्रीमती नसीम फातिमा का कोई हक अधिकार सरोकार, वास्ता कब्जा ही नहीं था इसके बावजूद अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती नसीम फातिमा के नाम गलत दर्ज किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि श्रीमती शमशु जुहरा पत्नी मुस्तफा हुसैन के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती प्रकरण शमशु जुहरा बनाम सरकार भी प्रस्तुत किया गया जिस पर आदेश दिनांक 24.10.1969 के अनुसार आवेदन पत्र में वर्णित भूमि की दुरूस्ती के आदेश भी श्रीमती शमशु जुहरा के नाम पारित किए गए। मुस्तफा हुसैन के स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 259 दिनांक 24.10.1959 के अनुसार मुस्तफा हुसैन की एक मात्र वारिस शमशु जुहरा ही थी, अन्य कोई वारिस नही थे ऐसी अवस्था में विरासत नामान्तकरण श्रीमती शमशु जुहरा के ही नाम स्वीकृत किया गया, यहां तक कि उपखण्ड अधिकारी के इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 24.10.1969 के अनुसार भी श्रीमती शमशु जुहरा ही खातेदार थी, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती नसीम फातिमा का कोई हक, अधिकार, सरोकार ही नहीं था एवं खातेदार मुस्तफा हुसैन के स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 259 दिनांक 24.10.1959 जो कि वारिस श्रीमती शमशु जुहरा के ही नाम ग्राम पंचायत दौराई के द्वारा स्वीकृत किया गया, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नसीम फातिमा जो कि मुस्तफा हुसैन की एवं श्रीमती शमशु जुहरा की वारिस ही नहीं है, कि इसके बावजूद अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार अजमेर को गुमराह कर धोखा देकर अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में अपीलाधीन नामान्तकरण जो स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती नसीम फातिमा का किसी भी प्रकार से हित निहित अधिकार कब्जा ही नहीं है बल्कि क्रेतागण के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 10 का ही विधिक हित निहित है, एवं कब्जा है। अधीनस्त न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व है अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर, अपने पद का दुरूपयोग कर, अपीलाधीन नामान्तकरण जो स्वीकृत किया गया है विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधनी नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 दिनांक 19.06.2020 ग्राम सोमलपुर तहसील अजमेर को निरस्त किए जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अपीलांन्ट का 1/2 हिस्सा श्रीमती नसीम फातिमा के नाम स्वीकृत कर दिया गया है जो कि पूर्णतया गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 एवं 05 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियाँ मय दस्तावेजो के अवलोकन से अपील में वर्णित भूमियों के सबंध में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1969 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या 08/1993 में पारित आदेश दिनांक 10.02.1995 से यथावत रखा गया है जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 श्रीमती शमशु जौहरा बेवा मुस्तफा हुसैन के नाम स्वीकृत किया गया तथा श्रीमती शमशु जौहरा का स्वर्गवास हो जाने से विरासत नामान्तकरण संख्या 1346 दिनांक 20.09.2011 श्रीमती नसीम फातमा पुत्री मुस्तफा हुसैन के नाम स्वीकृत किया गया जिन नामान्तकरणो का अवलोकन किये जाने से सम्पूर्ण भूमियों के

जिला कलक्टर
अजमेर

सबंध में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, केवल मात्र 1/2 हिस्से पर बैंक रहन को यथावत रखा गया है, जिन इन्द्राजात के विपरीत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटी कारित करते हुए 1/2 हिस्से पर बैंक रहन के स्थान अपीलांट का नाम अंकन कर दिया गया जिसको दुरूस्त किये जाने पर तहसीलदार अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जांच के उपरान्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिनांक 29.12.2017 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 स्वीकृत किया गया है, साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि अपीलांन्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 27.12.2010 को चुनौती दी जाकर अपील संख्या 66 ए/2011 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात् निर्णय दिनांक 28.06.2017 से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील संख्या 04/2018 विद्वान संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। इसी प्रकार अपीलांन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष नजरसानी अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्या 376/2018 विरूद्व निर्णय दिनांक 10.02.1995 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत होकर विचाराधीन है, साथ ही अपीलान्ट एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो विक्रय पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किये गये है उनका निर्धारण नामान्तकरण संबंधी समरी कार्यवाही के तहत नहीं किया जा सकता है तथा अपीलान्ट एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स को सम्पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा हक निर्णय पारित किये गये, जिसकी पालना में खातेदारी का अंकन किया गया है, जिन्हे चुनौती दी जाकर निरस्त करवाये बिना अपीलान्ट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किये जाने के अधिकारी नहीं होने से अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाकर विद्वान तहसीलदार अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 17.06.2020 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर